राष्ट्रीय कृषि बाजार–एक परिचय

राष्ट्रीय कृषि बाजार एक राष्ट्रीय स्तर का इलेक्ट्रॉनिक व्यापार है जिसे भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों में स्थित कृषि उपज मण्डी श्रृंखला को इंटरनेट के माध्यम से जोड़कर एकीकृत राष्ट्रीय कृषि उपज बाजार बनाना है। राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़कर कोई भी कृषि उपज मण्डी राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क में भाग ले सकती है। इस योजना के अंतर्गत सभी 585 नियमित बाजारों में ई–मार्केट प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे ऑन लाइन व्यापार करने, ई–परमिट जारी करने और ई–भुगतान आदि करने के साथ–साथ बाजार के सम्पूर्ण कार्य के डिजिटलाइजेशन को प्रोत्साहित किया जा सके।

भारत में राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत कृषि बाजार नहीं है। राज्यों में अलग–अलग मण्डी अधिनियम के तहत कृषि उपज मण्डी स्थापित की गई है, परन्तु एक मण्डी क्षेत्र से दूसरे मण्डी क्षेत्र में कृषि उपज लाने व ले–जाने पर कई प्रकार के प्रतिबंध हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच कृषि उत्पाद के व्यापार पर भी अनेक प्रकार के प्रतिबंध हैं। किसान अपना उत्पाद निश्चित मण्डी में ही बेचने को ले जा सकते हैं। व्यापारियों पर भी एक ही राज्य में अलग–अलग मण्डी में व्यापार करने हेतु पृथक–पृथक लाइसेंस प्राप्त करने की अनिवार्यता है। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उत्पाद का व्यापार छोटे–छोटे भागों में बंटा हुआ है, जिससे यह न केवल अन्य देशों की तुलना में मंहगा पड़ता है बल्कि कृषि उत्पाद की गुणवत्ता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।

राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ने की शर्तें

कृषि उपज मण्डी को राष्ट्रीय बाजार नेटवर्क से जुड़ने के पूर्व उस राज्य की मण्डी अधिनियम में 3 प्रावधान होना जरूरी हैः

1. राज्य मण्डी अधिनियम में इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का प्रावधान होना चाहिए।
2. राज्य मण्डी अधिनियम में भारत के अन्य राज्यों के व्यापारियों को लाइसेंस देने का प्रावधान होना चाहिए, जिससे कि वे किसी भी मण्डी में राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से कृषि व्यापार प्रक्रिया में भाग ले सकें।
3. मण्डी अधिनियम में यह प्रावधान भी होना चाहिए कि केवल एक लाइसेंस लेकर व्यापारी प्रदेश की सभी मण्डियों में व्यापार कर सकता है तथा मण्डी शुल्क एक स्थान पर अदा किया जा सकता है।

राष्ट्रीय कृषि बाजार के विकास के लिए इंटरनेट आधारित व्यापार पोर्टल विकसित किया गया है जो कि देश की सभी कृषि उपज मण्डियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रत्येक कृषि उपज

मण्डी को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना, प्रशिक्षण आदि पर होने वाला खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। पोर्टल को चलाने का वार्षिक खर्च कृषि उपज मण्डी की बढ़ी हुई आमदनी से व्यय करने का प्रावधान है। इस प्रकार राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ने के लिए कृषि उपज मण्डी का कोई प्रारंभिक व्यय नहीं होगा, लेकिन देख–रेख तथा रखरखाव का खर्च बाद में मण्डी द्वारा ही वहन किया जाएगा।

राष्ट्रीय कृषि बाजार से लाभ

राष्ट्रीय कृषि बाजार का लक्ष्य है कि पूरा देश एक मण्डी क्षेत्र बने, जिसमें किसी भी स्थान से दूसरे स्थान के लिए कृषि उत्पाद की आवा–जाही एवं विपणन आसानी से तथा कम समय में हो। किसानों के लिए स्थानीय व्यापारियों के साथ–साथ इंटरनेट के माध्यम से देश के अन्य राज्यों में स्थित व्यापारियों को भी अपना माल बेचने का विकल्प व व्यवस्था है। किसान अपना माल उस मण्डी में बेचने के लिए स्वतंत्र होगा जहाँ उसे बेहतर भाव मिलेंगे। किसान अपनी उपज की कीमत की जानकारी www.agmarknet.nic.in वेबसाइट पर या किसान कॉल सेंटर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीय कृषि बाजार का सीधा लाभ कृषकों, व्यापारियों तथा ग्राहकों को मिलेगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर कृषि उत्पाद का व्यापार एक तरफ किसानों को बेहतर मुनाफा देगा, वहीं व्यापारियों को भी अधिक अवसर मिलेंगे। यह सब करते समय स्थानीय कृषि उपज मण्डी के हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि पूरा व्यापार उसके माध्यम से ही होगा। देश की सभी मण्डियों को धीरे–धीरे राष्ट्रीय कृषि बाजार नेटवर्क से जुड़ने के फलस्वरूप भारत में पहली बार एक राष्ट्रीय कृषि उपज बाजार विकसित होगा। इसके फलस्वरूप देश में ही नहीं, अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के कृषि उत्पादों के विक्रय की सुविधा होगी।

वर्तमान स्थिति

राष्ट्रीय कृषि बाजार का लोकार्पण 8 प्रदेशों में स्थित 20 मण्डियों में 14 अप्रैल 2016 को किया गया है। प्रारम्भ में 22 वस्तुओं {सेब, आलू, प्याज, अरहर साबुत (लाल अरहर), मूंग साबुत (हरा मूंग), मसूर साबुत (मसूर), उड़द साबुत (काला उड़द), गेहूँ, मक्का, चना साबुत, बाजरा, जौ, ज्वार, लाल मिर्च और हल्दी} की ऑनलाइन खरीद व बिक्री की व्यवस्था की गई है।

स्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
संकलन एवं सम्पादनः डॉ. अनिल कुमार, डॉ. आजाद सिंह पंवार एवं डॉ. टेशू कुमार
प्रकाशनः निदेशक, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, मोदीपुरम, मेरठ (उ.प्र.)
फोनः 0121–2888711, 2888611 **फैक्सः** 0121–2888546
ई मेलः directoriifsr@yahoo.com **वेबसाइटः** www.iifsr.res.in